



निवाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

13AA 467441

प्राप्ति 26

(नियम 4क देखिए)

..... ०६. १०५५१। विधातसमा।..... निवाचन क्षेत्र से
(निवाचन क्षेत्र का नाम)

विधातसमा।..... (सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं..... ५८९। मैंखली पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ५१. ५०१। मैंखली आयु..... ३३ वर्ष,
जो..... ५१। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन से अध्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ....

१. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारणास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि किसी भीसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) भागल/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं १६/०५/१६६/०५ त. १५. मेरेम। १५५/०५

(ii) युलस्ट थाना (थाने) ११। लखनऊ, श्रीगंगांगा जिला(जिले) लखनऊ, यूप्रज्या ३५५२५५३

(iii) उन्नीष्ठ अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अध्यर्थी आरोपित किया गया है..... ७. श्रीगंगांगा १३०.३३२. (११), ३५१-१५७. अर्द्ध. ११.

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... १. अ. ग्रे. ५८. ६८१। अ. ५८.

(v) इन्हींखास त्रिलोगियों) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे १६।

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं १६।

किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या धारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया है/नहीं किया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) वापला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं १८
- (ii) व्यायालय, जिसने दंडित किया है १८
- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अध्यर्थी कभी आरोपित किया गया है १९
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे १९
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले व्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं १९


स्थान : १०८२९८

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..... १०८२९८ स्थान पर आज तारीख ०९ - ०१ - २०१२ को
सत्यापित किया।



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Certified that the above document is true in every respect.

Sworn by me on the date of 09.01.2012
at १०८२९८, Lucknow.

For Notary Public
G. P. R. (Signature)
Reg. No. 14/11/2004